

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर**

क्रमांक : ५.१(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./१८/१५

दिनांक : ३/४/१८

—: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं गंत्रालयिक रोपा) नियम १९६३ के नियम २२ (१)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के रिक्त पदों पर नियुक्ति अध्यर्थियों को उनके नाम के समुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	रोल नम्बर	अध्यर्थी का नाम	गृह ज़िला	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	41738194172	श्री हेम प्रकाश शर्मा	बासवाडा	२१-११-१९७८	GEN	बासवाडा
2	41738194153	श्री नरेश कुमार पाठीदार	झौगरपुर	२०-०६-१९८२	GEN	झौगरपुर
3	41738194842	श्री देवेन्द्र सिंह साठौड़	झौगरपुर	२९-०८-१९८८	GEN	झौगरपुर

01. अन्य नियमों की पात्रता एवं न्यूनतम छ: माह की अवधि के लिये आयोजित बैरिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि प्राथमिक जांच विधान द्वारा की जा दी जाती है, किन्तु अध्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छ: माह की अवधि के लिये आयोजित बैरिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि जांच एवं पगाण पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता सम्बन्धि जांच रांचित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसारण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिरा बेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह वयनित अध्यर्थियों की सूची, अध्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अध्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रत्युत्त करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अध्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेपाएं तुरन्त प्रगाच से रामाच कर दी जावेगी जिससे लिए अध्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. फायरमैन पद पर वयनित अध्यर्थियों को सम्बन्धित ज़िला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र रात्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
04. अध्यर्थी को कार्यगार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रैप्टर में सरकारी विधिवाक से रवारथ्य परीक्षण करवाकर रवारथ्य प्रगाच पत्र प्रत्युत्त करना होगा।
05. लोगोंको कामिकों का वित्त विभाग के आदेश रास्ता एक०१२(२)एफडी/रूल्स/२००५ द्वारा २०.०४.२००६ में वर्णितानुसार निर्धारित सामग्रावैधि तक फिरा रेखनरेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं वयनित अध्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को गरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय गत नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

08. नगर निकायों को आवंटित बयनित फायरौन इस आदेश में नारी हेतु भी दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निगम के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रामकृष्ण मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपरिथित होगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरौन पद हेतु बयनित अध्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
09. उक्ता नियुक्ति कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विवाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।

अतः इन्हे नियत सम्यावधि में नियमानुसार लघूटी ज्वाई उत्तराई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव  
दिनांक : ३/४/१८

क्रमांक - पा.१(ग)(१)का / एसा.एम.इ. / डी.एल.बी. / १८ / १६-३२

प्रतिलिपि - सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

01. विशिष्ट राहायक, माननीय मंत्री महोदय, रवा.शा.वि., राजस्थान लघूट।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, रवायत शासन विभाग राजगढ़ जयपुर।
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धित कार्यवाही तत्काल राम्पादित करते हुए नियुक्त आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अध्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण राहित अवगत करायें।
04. समरत उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (आधीनस्थ एवं मत्रालयिक सेवा) आयोग, लघूट जयपुर।
06. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लगा हो कि विभागाय वेबसाइट चौपालज्जार की वेबसाइट पर अपलोड करें।
07. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चक्षा करने हेतु प्रेषित है।
08. संबंधित कर्मचारी।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)